IDBI BANK
CIN: L65190MH2004GOI148838

IDBI Bank Ltd, NPA Management Group,
IDBI Tower, 7th floor, WTC Complex, Cuffe Parade, Mumbai- 400 005

विलफुल डिफॉल्टर कॉमटी की निर्णय की जानकारी

ऋणधारपक कम्पनी का नाम एवं पताः पीएसएल लिमिटेड जिसका पंजीकृत कार्यालय काचीगम, दमन, दमन एवं दियु का संघ क्षेत्र- 396210

नीचे वर्णित कॉर्पोरेट गारंटर को एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि आरबीआई मास्टर सर्क्युलर द्वारा यथा निर्दिष्ट विलफुल डिफॉल्टर्स की पहचान के लिए कार्यवाही शुरू की गई है तथा आपके लिए आईडीबीआई बैंक द्वारा जारी विलफुल डिफाल्टर्स समिति की निर्णय की सूचना देने के लिए सूचना पत्र तिथि 11 मई, 2021 वापस/ अन्डेलिवर्ड/ अनसर्व्ड लौट आया है।

नाम एवं पता	पदनाम
1. मै. ब्रॉकन हिल्स इन्टरनेशनल प्रा. लि. 8/2, मॉन्टिएथ लेन, एग्मोरे, चेन्नई-600008	पीएसएल लि. के कॉर्पोरेट गारंटर

मानदंड सं.	विलफुल डिफॉल्ट का मानदंड
2.1.3(b)	निधियों का डायवर्जनः यूनिट ने लेण्डर के प्रति अपने भुगतान/ पुनर्भुगतान के दायित्वों को पूरा करने में चूक की है तथा लैण्डर से प्राप्त धन का उस प्रयोजन विशेष के लिए उपयोग नहीं किया है जिसके लिए लिये धन प्राप्त की गई, बल्कि अन्य प्रयोजनों में धन को लगाया है।
2.2.1(c)	चाहे जिस किसी भी रूप में हो सहाय हों/ समूह की कम्पनियों/ अन्य किसी कॉर्पोरेट में धनों का अंतरण
2.1.3(c)	निधियों का दुरुपयोगः यूनिट ने लैण्डर के प्रति अपने भुगतान/पुनर्भुगतान के दायित्वों को पूरा करने में चूक की है तथा धन का दुरुपयोग किया है क्योंकि धनों का प्रयोग उस प्रयोजन विशेष में नहीं किया गया है, न हीं अन्य परिसम्पत्तियों के रूप में धन यूनिट में उपलब्ध है।
2.2.2	उपरोक्त धन का दुरुपयोग करना तभी माना जाता है जब बैंकों/ एफआई से ऋण के रूप में प्राप्त की गई किसी निधि को ऋणधारक के प्रचालनों से गैर-संबंधित प्रयोजनों में उपयोग किया जाता है जो प्रतिष्ठान अथवा लैण्डर के वित्तीय स्वास्थ्य की स्थिति के लिए हानिकारक हो।

उपरोक्त कॉर्पोरेट गारन्टर, यदि ऐसा चाहें, इस सूचना की तिथि से 15 दिनों के भीतर लिखित में आगे इस आशय का प्रतिनिधित्व जमा कर सकते हैं कि उन्हें क्यूं न विलफुल डिफॉल्टर के रूप में घोषित की जाए तथा आरबीआई को इसकी सूचना दी जाए।

स्थानः मुम्बई — हस्ता./-
तिथिः 18.06.2021 — प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

---

kotak **कोटक महिन्द्रा बैंक लिमिटेड**

सरफैसी अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के अंतर्गत मांग सूचना

पंजीकृत कार्यालयः 27 बीकेसी, सी-27, जी-ब्लॉक, बान्द्रा कुर्ला कॉम्प्लैक्स, बान्द्रा (ई), मुम्बई-400051
शाखा कार्यालयः 7वां तल, प्लॉट नं. 7, सेक्टर-125, नोएडा, उत्तर प्रदेश-201313

आप नीचे वर्णित ऋणधारक तथा सह-ऋणधारक ने अपनी अचल सम्पत्तियां (प्रतिभूतियां) को गिरवी रख कर बैंक/वित्तीय संस्थानों, जिसका विशेष विवरण यहाँ नीचे दिया गया है, से ऋण(णों)/प्राप्त की है तथा उसे वापस लौटाने में चूक की है। आपकी चूक के उपरांत आपके ऋणों को गैर-प्रचालन परिसम्पत्तियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है तथा यहाँ नीचे वर्णित एसाइन्मेन्ट प्रलेख के माध्यम से सभी अधिकारों, टाइटल्स, हितों, लाभों, देयताओं, रिसीवेबल्स के साथ उसे कोटक महिन्द्रा बैंक के पक्ष में सौंप दिया गया है। उक्त एसाइन्मेन्ट के अनुपालन में तथा बकाये की वसूली के लिये बैंक ने वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 (अधिनियम) की धारा 13(2) के अंतर्गत मांग सूचना जारी की जिसका विषय-वस्तु प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3(1) के साथ पठित अधिनियम की धारा 13(2) के अनुसार प्रकाशित किया जा रहा है तथा वैकल्पिक सेवा के माध्यम से आपको सूचित किया जा रहा है।

ऋणधारकों, सह-ऋणधारकों, प्रतिभूतियों, लेण्डर, बकाया देयता, धारा 13(2) के अंतर्गत मांग सूचना तिथि, सूचना में दावा की गई राशि, एनपीए तिथि एवं प्रतिभूतियों का विवरण इस प्रकार हैः

क्रम सं.	ऋणधारक, सह-ऋणधारक का नाम एवं पता ऋण खाता सं., ऋण की राशि का विवरण	अचल सम्पत्ति का विवरण	1) लैण्डर का नाम, 2) एसाइन्मेन्ट की तिथि, 3) मांग सूचना तिथि, 4) बकाया राशि रु. में
1	चान्सन मोटर्स प्राईवेट लिमिटेड, द्वारा उसके निदेशकों श्री हरजीत सिंह चंडोक तथा श्रीमती दलजीत कौर चंडोक, बी-45, केशोपुर इंडस्ट्रियल एरिया, विकासपुरी, नई दिल्ली, साथ हीः ए 112, केशोपुर इंडस्ट्रियल एरिया, एच ब्लॉक के सामने, विकासपुरी, नई दिल्ली एवं श्री हरजीत सिंह चंडोक एवं श्रीमती दलजीत कौर चंडोक, दोनोंः ए 112, केशोपुर इंडस्ट्रियल एरिया, एच ब्लॉक के सामने, विकासपुरी, नई दिल्ली साथ ही दोनोंः ए-39, गणेश नगर, तिलक नगर के निकट, दिल्ली, श्री हरजीत सिंह चंडोक, साथ हीः बी-1/34, प्रथम तल, जनकपुरी, नई दिल्ली ऋण खाता संख्याः XMORPNG00069879 स्वीकृत ऋण राशिः रु. 4,70,00,000/- (रुपये चार करोड़ सत्तर लाख मात्र)	उक्त भूमि के नीचे अविभाजित, इन्डियायजेवल तथा इम्पार्टिवल स्वामित्व अधिकारों के साथ भवन की सीढ़ियों, लिफ्ट, मैन गेट, पैसेज तथा अन्य सुविधाओं के उपयोग के अधिकार के साथ कार्यरत दशा में पानी, बिजली तथा सीवर कनैक्शन से युक्त उक्त सम्पत्ति के नीचे भूमि में फ्री होल्ड अधिकारों के साथ जनता को-ऑपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसायटी लि., मीरा बाग, पश्चिम विहार के नाम से विदित कॉलोनी, नई दिल्ली-110087 की ले आउट योजना में स्थित ब्लॉक ए, एरिया माप 397.44 वर्ग यार्ड्स में निर्मित सम्पत्ति सं. 354 के छत/टैरेस के अधिकार के बिना वेस्टमेन्ट तथा भू तल का सभी भाग तथा हिस्सा। मार्टगैजर का नामः चान्सन मोटर्स प्राईवेट लिमिटेड द्वारा उसके निदेशक श्री हरजीत सिंह चंडोक	1) रेलीगेयर फिन्वेस्ट लिमिटेड (आरएफएल) 2) 05.02.2019 3) 14.06.2021 4) 14.6.2021 को रु. 4,50,94,976.98 (रुपये चार करोड़ पचास लाख चौड़ानवे हजार नौ सौ छियत्तर एवं पैसे अन्ठानवे मात्र) के साथ 15.6.2021 से सम्पूर्ण भुगतान तक लागू ब्याज।

अतएव, आप ऋणधारकों तथा सह-ऋणधारकों को निर्देश दिया जाता है कि इस सूचना के 60 दिनों के भीतर यहां ऊपर वर्णित आगे के ब्याज के साथ उपरोक्त मांग की गई सम्पूर्ण राशि का भुगतान करें जिसमें विफल होने पर अधोहस्ताक्षरी ऊपर वर्णित प्रतिभूतियों को प्रवर्तित करने के लिए अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाई करने के बाध्य होंगे।

आप का ध्यान प्रतिभूत परिसम्पत्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है जिसके द्वारा उक्त प्रावधान में निर्दिष्ट अवधि के भीतर प्रतिभूत परिसम्पत्तियों को विमोचित करने के लिये आप स्वतंत्र हैं।

कृपया, ध्यान रहे कि उक्त अधिनियम की धारा 13(13) के अंतर्गत आप हमारी सहमति के बिना बिक्री, पट्टा या अन्य रूप से उपरोक्त प्रतिभूतियों को अंतरित करने के अधिकार से वंचित हैं तथा अधिनियम की धारा 13(13) का उल्लंघन उक्त अधिनियम की धारा 29 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है।

स्थानः दिल्ली — कोटक महिन्द्रा बैंक लि. के लिये
तिथिः 18.6.2021 — प्राधिकृत अधिकारी

J&K Bank Serving To Empower

द जम्मू एंड कश्मीर बैंक लिमिटेड
बाधित परिसंपत्ति पोर्टफोलिओ प्रबंध विभाग
अंचल कार्यालय (उत्तर) प्लॉट नं. 132-134, सेक्टर-44, गुरुग्राम (हरियाणा) (भारत)
GSTIN: 06AAACT6167G1ZB
टे.: + 91 (0) 0124-4715800; फैक्स : + 91 (0) 0124-4715800, ई-मेल : iapmd.del@jkbmail.com, वेब : www.jkbank.com

संदर्भ सं.: जेकेबी/जेडओडी (उत्तर)/आईएपीएमडी/2021 तिथिः 27.05.2021

1. मैसर्स चौधरी फर्टिलाइजर्स, दुकान नं. 66, न्यू ग्रेन मार्केट, कुंजपुरा, तहसील एवं जिला करनाल (कर्जदार), इसके प्रोपराइटर श्री मांगे राम (कर्ता एचयूएफ) पुत्र फूला राम के माध्यम से
2. श्री मांगे राम (कर्ता एचयूएफ) पुत्र श्री फूला राम निवासी दुकान नं. 66, न्यू ग्रेन मार्केट, ग्राम कुंजपुरा, करनाल (कर्जदार/बंधककर्ता)
3. श्री नीतू कुमार पुत्र श्री ओम प्रकाश निवासी म.नं. 37, ग्राम नबीपुर तहसील एवं जिला करनाल (जमानती)
4. श्री कीमती लाल पुत्र श्री इशाम सिंह निवासी म.नं. 228, ग्राम नबीपुर, तहसील एवं जिला करनाल (जमानती)
5. श्रीमती माया देवी पत्नी हरपाल सिंह निवासी म.नं. 544, ग्राम कुंजपुरा, तहसील एवं जिला करनाल (जमानती)

प्रिय श्रीमान/महोदया

वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के अंतर्गत सूचना

द जम्मू एंड कश्मीर बैंक लि., जेएंडके कंपनी अधिनियम, 1977 (संवत) के अंतर्गत स्थापित एक बैंकिंग कंपनी जिसका पंजीकृत कार्यालय एम.ए. रोड, श्रीनगर में है तथा अन्य स्थानों सहित एक शाखा कार्यालय ओल्ड जी.टी. रोड, सामने ओल्ड बस स्टैण्ड, करनाल, हरियाणा-132001 में है, यहां के बाद बैंक के रूप में वर्णित (जिसकी अवधारणा के आशय में उसके उत्तराधिकारी तथा एसाइन्स, रुचि रखने वाले उत्तराधिकारी आदि शामिल हैं) के लिए तथा उसकी ओर से मैं, तेजिन्दर सिंह वर्तमान में एक्जीक्यूटिव प्रबंधक, अंचल कार्यालय दिल्ली (उत्तर) गुरुग्राम के रूप में पदस्थापित तथा इस संदर्भ में बैंक के निदेशक मंडल द्वारा विधिवत अधिकृत, एतद्द्वारा वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के अंतर्गत आपको निम्नलिखित सूचना सर्व करता हूं :

1. कि बैंक ने आपके अनुरोध पर प्रारम्भ में आपकी प्रोपराइटरी कंसर्न मैसर्स चौधरी फर्टिलाइजर्स के पक्ष में वर्ष 2011 में रु. 15.00 लाख की नकद साख सुविधा स्वीकृत की जिसे अन्त में बढ़ाकर 20.00 लाख कर दिया गया। कथित सुविधाओं को ग्रहण करने के लिए आपने अन्य बातों के साथ-साथ अन्य प्रतिभूतियों के अतिरिक्त बैंक के पक्ष में निम्नलिखित प्रतिभूत आस्तियों के परिप्रेक्ष्य में कथित सुविधाएं ग्रहण करने हेतु आपने विभिन्न प्रतिभूत दस्तावेज क्रियान्वित किये और प्रतिभूत हित सृजित किए :

(क) सभी प्रकार के स्टॉक, व्यापार में अन्य अनुषंगी मदें तथा बुक डैट का दृष्टिबंधक।

(ख) दुकान नं. 66, न्यू ग्रेन मार्केट, ग्राम कुंजपुरा, मांगे राम (कर्ता एचयूएफ) पुत्र श्री फूला राम के नाम पर सम्पत्ति का पंजीकृत बंधक।

(ग) आप/आपकी कंसर्न ने उपर्युक्त सुविधाएं ग्रहण की, किन्तु प्रतिभूत ऋणों के पुनर्भुगतान में चूक की और इस प्रकार उन नियम एवं शर्तों का उल्लंघन किया है जिस पर कथित ऋण सुविधाएँ आपको स्वीकृत और अनुदानित की गयी थीं। आपके द्वारा चूक किये जाने के परिणामस्वरूप उपर्युक्त ऋण खाते भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार 31.03.2021 को बैंक द्वारा 'गैर-निष्पादन आस्ति' के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

अब, 30.04.2021 तक निम्नलिखित राशि आपके ऋण खाते में आपके द्वारा बकाया तथा देय है :

राशि : नकद साखः रु. 21,54,540.89/-

(घ) ऊपर पैरा 2 में वर्णित बकाया राशि के लिए वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के अंतर्गत परिभाषित रूप में बैंक ''प्रतिभूत क्रेडीटर'' है।

अतएव अब, वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण तथा पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के अंतर्गत बैंक में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए मै, ऊपर नामित वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13 (2) के अंतर्गत एतद्द्वारा आपको निर्देश देता हूं कि क्रेडिट्स, यदि कोई हो, को घटाकर समय-समय पर बैंक द्वारा वहन की गई/वहन की जाने वाली अन्य लागतों तथा चार्जेज के साथ मासिक रेस्ट्स के साथ एमसीएलआर 1 वर्ष+3.5% (वर्तमान के 10.85%) के साथ 1.5.2021 से उस पर फ्लोटिंग दर ब्याज के साथ इस सूचना की तिथि से 60 दिनों के भीतर बैंक की लेखा पुस्तकों में आप के प्रति बकाया नकद साख रु. 21,54,540.89 (रुपये इक्कीस लाख चौवन हजार पाँच सौ चालीस एवं नवासी पैसे मात्र) की राशि का भुगतान इसकी व्यापारिक इकाई ओल्ड जी.टी. रोड, सामने ओल्ड बस स्टैण्ड, करनाल, हरियाणा-132001 में अपनी संपूर्ण देयताओं को निष्पादित करें, अन्यथा बैंक आपकी जोखिम एवं लागतों पर अधिनियम (सुप्रा) के अंतर्गत अपनी शक्तियों का प्रयोग करेगा तथा अपनी प्रतिभूत ऋण की वसूली के लिए निम्नलिखित किसी या सभी उपायों का अवलंबन करेगाः

(i) प्रतिभूत परिसंपत्तियों की उगाही के लिए लीज, एसाइन्मेंट अथवा बिक्री द्वारा अंतरण के अधिकार सहित प्रतिभूत परिसंपत्तियों का कब्जा करना।

(ii) प्रतिभूत परिसंपत्तियों की उगाही के लिए लीज, एसाइन्मेंट अथवा बिक्री द्वारा अंतरण के अधिकार सहित प्रतिभूत परिसंपत्तियों के प्रबंधन का अधिग्रहण करना।

(iii) प्रतिभूत परिसंपत्तियों के प्रबंध के लिए किसी व्यक्ति को नियुक्त करना।

(iv) लिखित में सूचना द्वारा किसी भी समय ऐसे किसी भी व्यक्ति को प्राप्त करना जो बैंक को भुगतान के लिए आपसे किसी भी प्रतिभूत परिसंपत्तियों को अर्जित किए हों।

(ङ) यह ध्यान दें कि कथित अधिनियम की धारा 13(13) इस सूचना के बाद आपको बैंक की पूर्व लिखित अनुमति के बिना आपकी उपर्युक्त प्रतिभूत आस्तियों को बिक्री, लीज या अन्य विधि से अन्तरित करने से निषिद्ध करती है। एतद्द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि इस सूचना की प्राप्ति के बाद आप प्रतिभूत क्रेडीटर के हित के विरुद्ध किसी भी रूप में उपरोक्त परिसंपत्तियों का व्यवसाय नहीं करेंगे। साथ ही, आप प्रतिभूत परिसंपत्तियों जिसके आप ट्रस्टी हैं को संरक्षित रखने के कर्त्तव्य से बंधे हैं। यदि आपने पहले ही इन परिसंपत्तियों को अंतरित कर दिया हो अथवा इस सूचना की सर्विस के बाद अंतरित करेंगे तो आप इस अधिनियम में दंडात्मक प्रावधानों के अतिरिक्त भारतीय दंड संहिता की धारा 406 के अंतर्गत आपराधिक कार्रवाई के भागी होंगे।

(च) पुनः, कृपया ध्यान रहे कि यदि आप इस सूचना की तिथि से 60 दिनों के भीतर अपनी संपूर्ण देयताओं को निष्पादित करने में विफल होते हैं तथा बैंक अधिनियम (सुप्रा) की धारा 13 की उप-धारा 4 के अंतर्गत कोई कार्रवाई करता है तो आप पुनः इस सिलसिले में बैंक द्वारा वहन की गई सभी लागतों, प्रभारों तथा खर्चे का बैंक को भुगतान करने के लिये उत्तरदायी होंगे। यदि प्रतिभूत परिसंपत्तियों की बिक्री राशि से बैंक की संपूर्ण बकाया वसूल नहीं होती है तो बैंक आप तथा उसके देनदार किसी अन्य व्यक्ति से व्यक्तिगत रूप से शेष बकाये की वसूली की कार्रवाई करेगा।

(छ) यह सूचना लम्बित ऋण वसूली कार्रवाई अथवा किसी अन्य न्यायालय/अपीलीय अधिकरण/ प्राधिकरण में बैंक के सभी अधिकारों, उपचारों तथा तर्कों तथा साथ ही उपरोक्त देयता के संदर्भ में बैंक में प्रस्तुत की गई किसी अन्य प्रतिभूति से बकाए की वसूली करने के अधिकार के प्रति पूर्वाग्रह-रहित जारी की जाती है।

(ज) आपका ध्यान सरफेसी अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों की ओर आकृष्ट किया जाता है जिसके तहत आप सार्वजनिक नीलामी द्वारा, कोटेशन आमन्त्रण द्वारा, सार्वजनिक या निजी संधि द्वारा प्रतिभूत आस्ति(यों) की बिक्री हेतु केवल सूचना के प्रकाशन की तिथि तक बैंक द्वारा वहन किये गये समस्त लागतों, प्रभारों तथा व्ययों सहित बकाया सम्पूर्ण देयताओं की अदायगी कर सकते हैं। यह भी ध्यान रहे कि यदि आप सार्वजनिक नीलामी द्वारा, जनता से निविदा आमंत्रण द्वारा अथवा निजी संधि द्वारा प्रतिभूत परिसंपत्तियों की बिक्री के लिए सूचना के प्रकाशन की तिथि तक बैंक द्वारा वहन की गई सभी लागतों, चार्जेज तथा खर्चे के साथ संपूर्ण बकाये राशि का भुगतान कर नहीं करते हैं तो आप प्रतिभूत परिसंपत्तियों का विमोचन नहीं कर सकेंगे।

(झ) यह माँग सूचना इस सूचना के अनुसार प्रतिभूति हित के प्रवर्तन के पश्चात यदि आपकी देयताओं का भुगतान नहीं हुआ तो शेष बकायों की वसूली के लिए बैंक के अधिकार के प्रति पूर्वाग्रह के बिना बकाया राशि के प्रतिभूत क्रेडिटर की ऋण राशि तथा माँग का प्रत्यास्मरण है। पुनः कृपया ध्यान दें कि इस सूचना को किसी अधिकारों या उपचारों का वेवर नहीं माना जाना चाहिए जिसे हम अपनी ओर की राशि के परिप्रेक्ष्य में भावी माँग करने के अधिकार को सीमित किये बिना शामिल कर सकते हैं।

(तेजिन्दर सिंह)
अधिकृत प्राधिकारी, द जेएण्डके बैंक लिमिटेड

भारतीय कंटेनर निगम लिमिटेड
CONTAINER CORPORATION OF INDIA LTD.
(भारत सरकार का नवरत्न उपक्रम - A navratna Govt. of India Undertaking)

ई-निविदा आमंत्रण सूचना

कॉनकॉर निम्नलिखित कार्य के लिए निविदा की एकल बोली प्रणाली में ई-निविदा आमंत्रित करता हैः

निविदा सं.	कॉन/डीएल एवं सी/01/02/2021
कार्य का नामः इनलैंड कंटेनर डिपो/इरूगुर में थोक सीमेंट उतराई सुविधा की स्थापना और उपयोग के लिए सीमेंट निर्माता के चयन हेतु खुली ई-निविदा।	
अनुबंध की अवधि	25 वर्ष (पच्चीस वर्ष)
निविदा प्रक्रिया शुल्क	₹ 4,720/- सभी कर एवं प्रभार सहित ई-भुगतान द्वारा
निविदा जारी करने की अवधि (ऑनलाइन)	18.06.2021 - 11.00 बजे से 09.07.2021 (23.00 बजे तक)
पूर्व-बोली बैठक : वर्चुअल बैठक 29.06.2021 को 15:00 बजे (लिंक के लिए, sr.ro@concorindia.com पर ई-मेल भेजें)	
ऑनलाइन जमा करने की तिथि एवं समय	12.07.2021 को 23:59 बजे
खुलने की तिथि एवं समय	14.07.2021 को 11:00 बजे

पात्रता मानदंड आदि के लिए कृपया वेबसाइट www.concorindia.co.in पर उपलब्ध विस्तृत निविदा सूचना देखें, लेकिन संपूर्ण निविदा दस्तावेज केवल वेबसाइट www.tenderwizard.com/CCIL से ही डाउनलोड किया जा सकता है। आगे, शुद्धिपत्र/परिशिष्ट इस निविदा के लिए, यदि कोई होगा, उसे केवल वेबसाइट www.concorindia.co.in; www.tenderwizard.com/CCIL एवं केन्द्रीय प्रोक्योरमेंट पोर्टल (सीपीपी) पर ही प्रकाशित किया जाएगा।

ईडी/एरिया-III- दूरभाष : 011-41222500

बैंक ऑफ़ बड़ौदा Bank of Baroda

भोगल शाखा
दक्षिणी दिल्ली क्षेत्र,
नई दिल्ली, भारत

कर्जदार को सूचना — दिनांक : 8.05.2021
(सरफैसी अधिनियम, 2002 के 13 की उपधारा (2) के तहत)

सेवा में,
मैसर्स अवध एन्टरप्राइजेज इसके प्रोपराइटर सुश्री पलक मिश्रा पुत्री शशिभूषण मिश्रा, 202, दूसरी मंजिल, एच2/96, महावीर एन्कलेव, नई दिल्ली-110045

प्रिय श्रीमान,

सन्दर्भ : हमारी भोगल शाखा में साख सुविधाएं

1. हम आपका ध्यान अपने पत्र सं. DBK/ASHDEL/CC-PMMY/007/2016-17 तिथि 19.09.2016 के प्रति आकृष्ट करते हैं जिसमें विभिन्न साख सुविधाओं की स्वीकृति तथा स्वीकृति की शर्तें दी गई हैं। उपरोक्त स्वीकृति के अनुपालन में आपने यहां के बाद वर्णित रूप में उसके लिये प्रतिभूति उपलब्ध कराने के बाद साख सुविधाएं प्राप्त की तथा उसका प्रयोग करना आरंभ किया। ऋण खाते में वर्तमान बकाया तथा ऐसी देयता के लिये निर्मित प्रतिभूति हित इस प्रकार हैः

सुविधा की प्रकृति तथा प्रकार	सीमा (रु. में)	ब्याज दर	31.03.2021 तक बकाया शेष (31.03.2021 तक ब्याज शामिल)	प्रतिभूतियों के संक्षिप्त विवरण सहित प्रतिभूति अनुबन्ध
नकद साख (06640500000043)	9,90,000/-	11.00% वार्षिक (फ्लोटिंग)	रु. 10,02,309/-	स्टॉक (लैदर गारमेंट्स आदि से निर्मित) तथा बुक डैट का दृष्टिबंधक, 202, दूसरी मंजिल, एच2/96 महावीर एन्कलेव, नई दिल्ली-110045 में स्थित।
एफआईटीएल कोविड ऋण (06640600001627)	61,469/-	9.40% वार्षिक	रु. 18,762.02/-	स्टॉक (लैदर गारमेंट्स आदि से निर्मित) तथा बुक डैट का दृष्टिबंधक, 202, दूसरी मंजिल, एच2/96 महावीर एन्कलेव, नई दिल्ली-110045 में स्थित।
कुल	10,51,469/-		10,21,071.02/-	

ऋण की अभिस्वीकृति पत्र तिथि 17.04.2019 में आपने रु. 9,70,018.36/- (रुपये नौ लाख सत्तर हजार अठारह एवं छत्तीस पैसे मात्र) (नकद साख) की बैंक को अपनी देयता स्वीकार की है। उपरोक्त बकाये में 31.03.2021 तक आगे का ड्राइंग्स तथा ब्याज शामिल है।

2. जैसा कि आप जानते हैं, 31.03.2021 को समाप्त तिमाही हेतु उपरोक्त ऋणों/बकायों पर ब्याज के के भुगतान में चूक की है। आप ने 01.01.2021 तथा उसके बाद भुगतान के लिये मांग ऋणों के किस्तों के भुगतान में भी चूक की है।

3. आपके द्वारा की गई चूक के उपरांत भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों तथा दिशानिर्देशों के अनुसार 31.03.2021 को आपकी ऋण खाता को गैर-प्रचालन परिसम्पत्ति के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया है। बार-बार की गई अनुरोध तथा मांगों के बावजूद आपने उस पर ब्याज सहित अधिशेष ऋणों का भुगतान नहीं किया है।

4. ऊपर पैरा 1 में वर्णित विभिन्न प्रतिभूतियों द्वारा विधिवत प्रतिभूत साख सुविधाओं के संदर्भ में आपकी देयता को पूरा करने में आपकी विफलता तथा आपकी खाता को एक गैर-प्रचालन परिसम्पत्ति के रूप में वर्गीकरण को देखते हुए हम एतद्द्वारा वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13 की उप-धारा (2) के अंतर्गत आपको सूचना देते हैं तथा आपको निर्देश देते हैं कि इस सूचना की तिथि से 60 दिनों के भीतर ऊपर पैरा 1 में वर्णित कुल रु. 10,21,071.02/- (रुपये दस लाख इक्कीस हजार इकहत्तर एवं दो पैसे मात्र) (नकद साख का रु. 10,02,309/- तथा एफआईटीएल कोविड ऋण का रु. 18,762.02/-) की बैंक की बकाया राशि तथा ऊपर पैरा 1 में वर्णित ब्याज एवं अन्य प्रभारों का सम्पूर्ण भुगतान करें तथा अपनी देयताओं को निष्पादित करें। हम पुनः आपको सूचित करते हैं कि यदि भुगतान की तिथि तक ब्याज के साथ उपरोक्त राशि के भुगतान में आप विफल होते हैं तो हम उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (4) के अंतर्गत किसी या सभी अधिकारों का प्रयोग करने के लिये स्वतंत्र होंगे। कृपया, इसका ध्यान रखें।

5. कृपया ध्यान रहे कि सम्पूर्ण भुगतान तक प्रत्येक साख सुविधा के लिये ऊपर पैरा 1 में निर्दिष्ट दरों पर ब्याज उपचयित होती रहेगी।

6. हम आपका ध्यान उक्त अधिनियम की उप-धारा 13 के प्रति आकृष्ट करना चाहते हैं जिसके अंतर्गत पूर्व सहमति प्राप्त किए बिना बिक्री, पट्टा अथवा अन्य रूप से (व्यवसाय की सामान्य प्रक्रिया के अतिरिक्त) ऊपर पैरा 1 में वर्णित प्रतिभूत परिसम्पत्तियों का किसी भी रूप में अंतरण करने से आप वंचित हैं। हम पुनः सूचित करते हैं कि उक्त अनुबंध की धारा 13 (13) में शामिल उपरोक्त प्रावधान की अवज्ञा अधिनियम की धारा 29 के अंतर्गत एक दंडनीय अपराध है।

7. हम पुनः आपका ध्यान उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रति आकृष्ट करते हैं जिसके अनुसार यदि आप सार्वजनिक नीलामी/ कोटेशन/ निविदा आमंत्रित करने/ निजी संधि के लिए सूचना के प्रकाशन की तिथि से पूर्व किसी भी समय सभी लागतों, चार्जेज तथा बैंक द्वारा वहन की गई खर्चे के साथ बकाया राशि का भुगतान कर देते हैं तो आप प्रतिभूत परिसम्पत्तियों को विमोचित कर सकते हैं। कृपया ध्यान रहे कि उक्त सूचना के प्रकाशन के बाद आपको प्रतिभूत परिसम्पत्ति को विमोचित करने का अधिकार उपलब्ध नहीं होगा।

8. कृपया ध्यान रहे कि यह मांग सूचना पूर्वाग्रह-रहित है तथा इसे लिमिटेशन रहित, हमारी बकाया राशि के संदर्भ में आगे मांग करने के अधिकार सहित हमें उपलब्ध किसी भी अन्य अधिकारों अथवा उपचारों को छूट देने के रूप में नहीं माना जाएगा।

आपका विश्वासभाजन
(कृष्ण कुमार)
मुख्य प्रबंधक एवं प्राधिकृत अधिकारी

बैंक ऑफ़ बड़ौदा Bank of Baroda

भोगल शाखा
दक्षिणी दिल्ली क्षेत्र,
नई दिल्ली, भारत

कर्जदार को सूचना — दिनांक : 28.05.2021
(सरफैसी अधिनियम, 2002 के 13 की उपधारा (2) के तहत)

सेवा में,
सुश्री पलक मिश्रा पुत्री शशिभूषण मिश्रा प्रोपराइटर मैसर्स अवध एन्टरप्राइजेज, 202, दूसरी मंजिल, एच2/96, महावीर एन्कलेव, नई दिल्ली-110045

प्रिय श्रीमान,

सन्दर्भ : हमारी भोगल शाखा में साख सुविधाएं

1. हम आपका ध्यान अपने पत्र सं. DBK/ASHDEL/CC-PMMY/007/2016-17 तिथि 19.09.2016 के प्रति आकृष्ट करते हैं जिसमें विभिन्न साख सुविधाओं की स्वीकृति तथा स्वीकृति की शर्तें दी गई हैं। उपरोक्त स्वीकृति के अनुपालन में आपने यहां के बाद वर्णित रूप में उसके लिये प्रतिभूति उपलब्ध कराने के बाद साख सुविधाएं प्राप्त की तथा उसका प्रयोग करना आरंभ किया। ऋण खाते में वर्तमान बकाया तथा ऐसी देयता के लिये निर्मित प्रतिभूति हित इस प्रकार हैः

सुविधा की प्रकृति तथा प्रकार	सीमा (रु. में)	ब्याज दर	31.03.2021 तक बकाया शेष (31.03.2021 तक ब्याज शामिल)	प्रतिभूतियों के संक्षिप्त विवरण सहित प्रतिभूति अनुबन्ध
नकद साख (06640500000043)	9,90,000/-	11.00% वार्षिक (फ्लोटिंग)	रु. 10,02,309/-	स्टॉक (लैदर गारमेंट्स आदि से निर्मित) तथा बुक डैट का दृष्टिबंधक, 202, दूसरी मंजिल, एच2/96 महावीर एन्कलेव, नई दिल्ली-110045 में स्थित।
एफआईटीएल कोविड ऋण (06640600001627)	61,469/-	9.40% वार्षिक	रु. 18,762.02/-	स्टॉक (लैदर गारमेंट्स आदि से निर्मित) तथा बुक डैट का दृष्टिबंधक, 202, दूसरी मंजिल, एच2/96 महावीर एन्कलेव, नई दिल्ली-110045 में स्थित।
कुल	10,51,469/-		10,21,071.02/-	

ऋण की अभिस्वीकृति पत्र तिथि 17.04.2019 में आपने रु. 9,70,018.36/- (रुपये नौ लाख सत्तर हजार अठारह एवं छत्तीस पैसे मात्र) (नकद साख) की बैंक को अपनी देयता स्वीकार की है। उपरोक्त बकाये में 31.03.2021 तक आगे का ड्राइंग्स तथा ब्याज शामिल है।

2. जैसा कि आप जानते हैं, 31.03.2021 को समाप्त तिमाही हेतु उपरोक्त ऋणों/बकायों पर ब्याज के के भुगतान में चूक की है। आप ने 01.01.2021 तथा उसके बाद भुगतान के लिये मांग ऋणों के किस्तों के भुगतान में भी चूक की है।

3. आपके द्वारा की गई चूक के उपरांत भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों तथा दिशानिर्देशों के अनुसार 31.03.2021 को आपकी ऋण खाता को गैर-प्रचालन परिसम्पत्ति के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया है। बार-बार की गई अनुरोध तथा मांगों के बावजूद आपने उस पर ब्याज सहित अधिशेष ऋणों का भुगतान नहीं किया है।

4. ऊपर पैरा 1 में वर्णित विभिन्न प्रतिभूतियों द्वारा विधिवत प्रतिभूत साख सुविधाओं के संदर्भ में आपकी देयता को पूरा करने में आपकी विफलता तथा आपकी खाता को एक गैर-प्रचालन परिसम्पत्ति के रूप में वर्गीकरण को देखते हुए हम एतद्द्वारा वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13 की उप-धारा (2) के अंतर्गत आपको सूचना देते हैं तथा आपको निर्देश देते हैं कि इस सूचना की तिथि से 60 दिनों के भीतर ऊपर पैरा 1 में वर्णित कुल रु. 10,21,